






मु० न०:- 173 / 2022

तारीखरजु:- 28.9.22

उनवान:- बाबूलाल बनाम घनश्याम
दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा

दिनांक	फर्द अहकाम
	<p>वादी की ओर से श्री विजय भारती एडवोकेट ने दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा आर. टी. एक्ट के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया, अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तहसील क्षेत्र टोडाभीम के जरिये तहसीलदार एवं तहसील क्षेत्र टोडाभीम के बाहर के सम्मन जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा नोटिस से तलब कर पत्रावली दिनांक 07.10.2022 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"> (दुर्गा प्रसाद मीना) उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला करौली</p>
7 ¹⁰ / ₂₂	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादी नं० 1 वगान 5 ने स्वयं उपस्थित होकर आदेमिडा पर हस्ताक्षर किये। एवं प्रतिवादी नं० 6, 7 के नोटिस तामील स्वयं व परिवारजन से होने की रिपोर्ट प्राप्त हुई। बाबजूद सूचना कोई उपस्थित नहीं। उक्त के खिनाफ एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है वास्ते जबाब दिनांक 17.10.22 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"></p>
17 ¹⁰ / ₂₂	<p>वादी वकील/वकील उभय पक्ष उपस्थित पीदासीन अधिकारी... पर... पधारे हैं पत्रावली गणानुसार दिनांक... 7.11.22 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"></p>
7 ¹¹ / ₂₂	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादी नं० 1 वगान 5 की ओर से श्री जाकिर खान एडवोकेट ने मीमो पेश किया। जो शामिल पत्रावली रहे। वास्ते जबाब पेश करने दिनांक 1.12.22 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"></p>
1 ¹² / ₂₂	<p>वादी वकील/वकील उभय पक्ष उपस्थित पीदासीन अधिकारी... में पधारे हैं पत्रावली गणानुसार दिनांक... 5.12.22 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"></p>

5437-43
28/9/2022

लखन
राधेश्याम
धनश्याम
सीमा
व रमी

दिनांक	फर्द अहकाम
5/8/25	पत्रावली चेकडूरी / वकील वादी उपस्थित वादी वकील को साक्ष्यपत्र चेक करने के लिए आवेदन को रद्द किया गया / वादी के पत्रावली दिनांक 4/9/25 को चेक करें।
4/9/25	वादी वकील / वकील उमय पक्ष उपस्थित निहासीन अधिकारी को पत्रावली के कार्रवाई के लिए पत्रावली गतानुसार दिनांक 6/10/25 को चेक करें।
06-10-25	पत्रावली चेक हुई वादी एवं वादी वकील को उपस्थित नहीं। बार-बार अपील किया गया इसके उपरान्त भी वादी एवं वादी वकील को उपस्थित नहीं हुआ। इसलिए इन्हें दया वकालत एवं निष्पत्ता वादी एवं वादी वकील को दया पत्रावली अग्र हाजिरी में अग्रिय स्थिति पत्रावली पत्रावली के अग्र अग्र होने पर नंबर ले कर कर दायित्व वफाद हो।